न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– महेश चन्द्र मान (R.A.S.)

दावा संख्या
139/2017

रजू दिनांक
08.06.2017

निर्णय दिनांक
05.03.2018

उनवान

1 पूरणराम पुत्र प्रभाती
2 मैना पत्नी पूरणराम जातियान कुम्हार निवासीयान बासनी तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0

–: वादीगण

बनाम

1 श्योनारायण
2 सुन्दर
3 विजय
4 राकेश पुत्रान बंशी जातियान खटीक निवासीयान बासनी तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर

–: प्रतिवादीगण

दावा :– हु0ई0 दवामी
अर्न्तगत धारा 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

–: पर्चा डिक्री :–

दिनांक :– 05.03.2018

वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री मदनलाल सांवरिया की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 05.03.2018 को महेश चन्द्र मान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेशित किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

आराजी ख0नं0 1723/212/1.26, 215/0.29, 1725/213/0.19 है0 वाके ग्राम बासनी तहसील मुण्डावर के बाबत प्रतिवादीगण को हु0ई0द0 से सदैव–सदैव के लिए पाबंद किया जाता है कि वे उक्त विवादित आराजी पर किसी भी प्रकार से जबरन कब्जा नहीं करे, ना ही किसी भी प्रकार से विवादित आराजी में कोई निर्माण कार्य करें व ना ही बोरिंग ही करें, ना ही वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से रूकावट ही पैदा करें, मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पाबंद रहे।

खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेगें।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 05.03.2018 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

05.03.18

(महेश चन्द्र मान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर

Scanned by CamScanner